

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1738
13.02.2023 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन प्रभाव

1738 श्री अशोक महादेवराव नेते :
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कई शोधों से पता चला है कि वनों के अंधाधुंध काटे जाने के कारण हर वर्ष दो बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन-डाईऑक्साइड वायुमंडल में घुल रही है और इसके कारण ओज़ोन परत को गंभीर नुकसान हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों के पिघलने के और समुद्र के स्तर में लगातार वृद्धि के कारण देश के विभिन्न शहरों पर मंडरा रहे खतरे के दृष्टिगत सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना क्या है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के अनुमान का कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2021 के अनुसार, विगत दो वर्षों में कुल वन और हरित आवरण में वृद्धि हुई है और इसमें देश का 24.62% भौगोलिक क्षेत्र शामिल है। कुल कार्बन स्टॉक में भी वृद्धि हुई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओज़ोन परत को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक करार है, के तहत कार्बन डाईऑक्साइड को ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ (ओडीएस) के रूप में अभिज्ञात नहीं किया गया है।

(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संगत उपबंधों के अंतर्गत मौसम संबंधी आपदाओं सहित विभिन्न आपदाओं के कारण योजना, तैयारी, राहत, वसूली और पुनर्वास के परिप्रेक्ष्य में संस्थागत और विनियामक कार्यवाही तैयार किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने चक्रवात, बाढ़ और लू चलने जैसी चरम मौसम संबंधी आपदाओं के प्रबंधन के लिए कई आपदा विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों को विभिन्न जोखिमों के आपदा जोखिम प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित खतरे भी शामिल हैं। इसके अलावा, बाढ़/चक्रवातों की स्थिति में समय पर खतरे वाला स्थान खाली कराने और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अग्रिम और पूर्व चेतावनी प्रणालियां कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत सरकार ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएमपी) का कार्यान्वयन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारत की संपूर्ण तट-रेखा के लिए खतरे की रेखा, पारि-संवेदनशील क्षेत्र, तलछट सेल के मानचित्रण में सहयोग दिया है। खतरे की रेखा,

तट-रेखा में परिवर्तनों की सूचक है जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि शामिल है और यह लंबी अवधि जैसे 100 वर्ष से अधिक की अवधि में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण प्रभावों और तट-रेखा में परिवर्तन का भावी आकलन है। अनुकूलन और उपशमन उपायों की आयोजना सहित तटीय पर्यावरण के लिए आपदा प्रबंधन हेतु इस रेखा का उपयोग संबंधित तटीय राज्य अभिकरणों द्वारा एक साधन के रूप में किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दो राष्ट्रीय मिशन- राष्ट्रीय संधारणीय हिमालय पारि-प्रणाली मिशन (एनएमएसएचई) और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति ज्ञान मिशन (एनएमएसकेसीसी) का कार्यान्वयन कर रहे हैं और इन मिशनों के अंतर्गत पूरे देश में विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को जलवायु अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) कृषि और अन्य क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन समय-समय पर संगत मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन और समाधान के लिए वर्ष 2011 में एक नेटवर्क परियोजना, राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) की पहल की है। एनआईसीआरए के अंतर्गत किए गए अध्ययनों के अनुसार, वर्ष 2050 और वर्ष 2080 में भारत में वर्षा आधारित चावल की उपज में मामूली कमी (<2.5%), और वर्ष 2050 में सिंचाई द्वारा चावल की उपज में 7% और वर्ष 2080 के परिदृश्य में 10% कमी का अनुमान लगाया गया है। गेहूँ की उपज वर्ष 2100 में 6-25% और मक्का की उपज 18 से 23% तक कम होने का अनुमान लगाया गया है। जलवायु परिवर्तन से काबुली चने के उत्पादन में वृद्धि (23 से 54%) हो सकती है। इसके अलावा, तटीय भेद्यता, स्वास्थ्य, कृषि और जल जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय मिशनों के अंतर्गत कई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(घ) भारत, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यवाहक कन्वेंशन, इसके क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस करार का एक पक्षकार है। वर्ष 2015 में पेरिस करार के अंतर्गत, भारत ने गरीबी उन्मूलन और देश की आर्थिक वृद्धि को शामिल करते हुए जलवायु परिवर्तन, संधारणीय विकास की चिंताओं और वरीयताओं का संतुलन करते हुए अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया था। अगस्त, 2022 में भारत ने अपनी जलवायु संबंधी कार्रवाई में उच्च महत्वकांक्षा को प्रदर्शित करते हुए अपने एनडीसी को अद्यतित किया है। अद्यतित लक्ष्यों में वर्ष 2005 के स्तरों से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता प्राप्त करने; और वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 03 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करने तथा 'लाइफ' - 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली' के संबंध में जन आंदोलन के माध्यम से संरक्षण और संयमन की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर एक स्वस्थ और संधारणीय जीवन शैली का प्रचार करना शामिल है।

सरकार, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्यान्वयन कर रही है जो अति व्यापक नीति कार्यवाहक है और सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारि-प्रणाली, संधारणीय पर्यावास, हरित मिशन, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशनों को समाहित करता है। इसके अलावा, एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है। सरकार ने अनुकूलन और उपशमन दोनों पर भारत की कार्रवाई को और बढ़ाने के लिए कई स्कीमों और कार्यक्रम शुरू किए हैं। नवंबर, 2022 में यूएनएफसीसीसी में प्रस्तुत भारत की एलटी-एलईडीएल (दीर्घावधिक न्यून कार्बन विकास कार्यनीति) के अनुसार, भारत की न्यून कार्बन विकास संबंधी परिकल्पना आर्थिक विकास के लिए भारत की उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता और संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर आधारित है।